न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 34A / 2012

राजस्थान सरकार जरिये श्री राकेश शर्मा, प्रर्वतन अधिकारी अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री मानसिंह, निवासी दुआ भवन, अलवर गेट चौराहा,अजमेर।
.........अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.08.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.4.2012 को सुश्री प्रीति चौधरी आर.पी.एस.(पी) थानाधिकारी अलवरगेट, श्री पूर्णाराम एस.आई., श्री लक्ष्मण सिंह ए.एस.आई व श्री मोतीराम कांस्टेबल एवं प्रार्थी एवं श्री प्रताप व्यास प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी करने सबंधी प्राप्त शिकायत पर संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में अप्रार्थी के निजी दुआ भवन के ग्राउन्ड फ्लोर के एक कमरे में 12 घरेलु गैस सिलेण्डर, 8 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एवं 62 सैफ्टी कैप, विभिन्न उपभोक्ताओं की 32 गैस डायरियॉ एवं दो एक्सरसाइज नोट बुक जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को गैस सिलेण्डर देने सम्बन्धी इन्द्राज होना पाया गया। मौके पर भण्डारित घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण है।

क0सं0	नाम कम्पनी	सिलेण्डर सं0	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	आई.ओ.सी.	132018 घरेलू	16.2	16.2	—
2.	आई.ओ.सी.	939972 घरेलू	16.5	16.5	—
3.	आई.ओ.सी.	446171 घरेलू	15.7	15.7	—
4.	आई.ओ.सी.	630200 घरेलू	30.00	15.7	14.3
5.	आई.ओ.सी.	527368 घरेलू	30.00	15.6	14.3
6.	आई.ओ.सी.	2306211 घरेलू	30.00	15.6	14.4
7.	एच.पी.सी.	247335 घरेलू	15.7	15.7	—
8.	एच.पी.सी.	373919 घरेलू	30.00	15.6	14.4
9.	एच.पी.सी.	230042 घरेलू	15.7	15.7	—
10.	बी.पी.सी	2169 घरेलू	15.4	15.4	—
11	बी.पी.सी	192486 घरेलू	15.9	15.9	—
12	बी.पी.सी	अपठित घरेलू	16.1	16.1	

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

23/08/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

व्यवसायिक

क0सं0	नाम कम्पनी	सिलेण्डर सं0	G.T.(Kg)	T.W. (Kg)	N.W. (Kg)
1.	एचपीसी	39231	22.0 व्यवसा0	19.1	
2.	आई.ओ.सी	2399	22.0 व्यवसा0	19.5	2.9
3.	आई.ओ.सी	अपठित	19.4 व्यवसा0	19.4	2.5
4.	आई.ओ.सी	5513	19.4 व्यवसा0	19.4	—
5.	आई.ओ.सी	16532	19.5 व्यवसा0	19.5	—
6.	आई.ओ.सी	11269	19.2 व्यवसा0	19.2	—
7.	आई.ओ.सी	26672	21.0 व्यवसा0	19.3	1.7
8.	आई.ओ.सी	अपठित	19.9 व्यवसा0	19.9	—

अप्रार्थी के कब्जे से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण, 32 उपभोक्ताओं की गैस डायरियॉं, 62 सैफ्टी कैप का पाया जाने से इनके द्वारा व्यापक रूप से गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी का व्यव्साय किये जाना सिद्ध पाया जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से 12 घरेलू एवं 8 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर कब्जे राज लेकर मैसर्स मातृछाया गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री मूलचन्द पुत्र श्री सुखलाल को सुपुर्दगी पर दिया गया। 32 गैस डायरियॉं व 62 सैफ्टी कैप थानाधिकारी द्वारा अपनी तहवील में लिये गये। प्रकरण में थानाधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 89/2014/2012 दर्ज कर आरोपी श्री जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसाय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(a) (b) (c), 6 व 7 (1) (a) (b) (c) की अवेहलना है। अतः उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 8 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 62 सैफ्टी कैंप को 8 को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी0 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अभिभाषक श्री चन्दनसिंह द्वारा कुल 8 प्रार्थना पत्र विभिन्न व्यक्तियों की ओर से सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र वास्ते सिलेण्डर व डायरी सुपुर्दगी पर दिलवाये जाने का मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई, अप्राथी/अभिभाषक अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध गैस सिलेण्डरों की कालाबजारी किये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच पुलिस प्रशासन एवं रसद विभाग की संयुक्त कार्यवाही में अप्रार्थी के निजी भवन से 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 8 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 32 उपभोक्ताओं की गैस डायरियॉं, 62 सैफ्टी कैप एवं दो एक्सरसाइज नोट बुक जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को गैस सिलेण्डर देने सम्बन्धी इन्द्राज थे, बरामद किये गये। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 89/2014/2012 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसाय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(a) (b) (c), 6 व 7 (1) (a) (b) (c) की अवेहलना है। अतः उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 8

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

23/08/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 62 सैफ्टी कैंप को 8 को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अप्रार्थी का जवाब कथन है कि बरामद सामग्री गैस सिलेण्डर एवं सैफ्टी कैप इत्यादि से अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। जांच दल द्वारा जिस कमरे से उक्त सामग्री बरामद की गई वह मैने श्री राजू को रहने हेतु किराये पर दे रखा था, जिसमें किरायेदार राजू गैस चूल्हों की रिपेयरिंग का काम भी करता था। कार्यवाही दौरान किरायेदार दो गैस के चूल्हे और रिपेंयरिंग करने के सामान औजार एव अन्य सामग्री कमरे में ही छोडकर भाग गया जिसका आज दिनांक तक पता नहीं चला। गैस सिलेण्डर लाने ले जाने की सुविधा हेतु कई उपभोक्ताओं द्वारा अपनी गैस डायरियॉ राजू को दे रखी थी, जिन्हे वह सुरक्षित रखकर इनके वास्तविक उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार गैस सिलेण्डर कम्पनी से लाकर देने का कार्य करता था। अप्रार्थी उपर की मंजिल पर रहता है। उनका जब्त सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी युक्ति युक्त पुख्ता आधार के जानबुझकर अप्रार्थी पर बिल्कुल झूठा व बेबुनियाद, मनगढन्त आरोप लगाये गये है। अप्रार्थी द्वारा आक्षेपित धाराओ के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषमुक्त करते हुए जब्त गैस डायरियॉ उपभोक्ताओं को वापिस भिजवाने का श्रम करावें

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर अप्रार्थी के जवाब कथनों के साथ मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच दौरान वरवक्त जांच मौके पर अप्रार्थी के निजी भवन से 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 8 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 32 उपभोक्ताओं की गैस डायरियॉ, 62 सैफ्टी कैप एवं दो एक्सरसाइज नोट बुक जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को गैस सिलेण्डर देने सम्बन्धी इन्द्राज थे, बरामद किये गये। घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसाय, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(a) (b) (c), 6 व 7 (1) (a) (b) (c) का स्पष्ट उल्लंघन होने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री, 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, 8, व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 62 सैफ्टी कैप को राजसात किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

23/8/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner